राजस्थान कर बोर्ड,अजमेर

अपील संख्या 1201/2008/भरतपुर

मैसर्स सुरेश कुमार एण्ड ब्रदर्स,
डीग, भरतपुर — अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट–प्रथम, भरतपुर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित

श्री दिनेश कुमार
अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से

श्री एन.के.बैद
उप राजकीय अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 07.07.2017

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उपायुक्त(अपील्स) वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 406/उपा–भरत/05–06/आरएसटी में पारित आदेश दिनांक 10.03.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने, वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–बी, भरतपुर (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 29 (4) के अन्तर्गत पारित कर आदेश में आरोपित टर्नओवर टैक्स रू. 45,00/–, शास्ति रू. 3760/– व ब्याज रू. 648/–में से शास्ति को अपास्त कर टर्नओवर टैक्स रू. 45,00/– व ब्याज रू. 648/–को यथावत रखा है,जिसको इस अपील में विवादित किया गया है ।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के वर्ष 2003–04 का कर निर्धारण दिनांक 12.01.2006 को पारित करते हुए अपीलार्थी ने एस टी–5 पेश किया जबकि एस टी 5ए पेश करना चाहिए था, वह भी 376 दिनों के विलम्ब से पेश किया गया, अत कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 61 के अर्न्तगत शास्ति रू. 3760/–आरोपित की तथा टीओटी वर्ष 2003–04 की बिक्री के आधार पर रू. 4500/–आरोपित करते हुए कम जमा पर धारा 58 के अन्तर्गत ब्याज रू. 648/–आरोपित किया। उक्त प्रकार से आरोपित शास्ति, टोओटी ब्याज के सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर शास्ति को अपास्त करते हुए आरोपित टीओटी व ब्याज को यथावत रखा है, जिससे असन्तुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपालार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी द्वारा कर मुक्त एवं घोषित वस्तुओं का व्यापार किया जाता है। उनका कथन है कि उसके द्वारा एस टी 17 पर बिक्री की गई है जो राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 12.03.1997 के द्वारा टी ओ टी से कर मुक्त है। उन्होंने उक्त कथन के समर्थन में राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 815/2002 एवं

816/2002/जोधपुर (2 आर टी आर 446 आरटीबी) में पारित निर्णय दिनांक 17.06.2003 को उद्धृत करते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त कर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने परिपत्र संख्या 16(4)टैक्स/कमिश्नर/2000/पार्ट–।/7743 दिनांक 23.01.2003 एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय (77 एसटीसी 07(एससी) को ध्यान में रखते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित टीओटी प्रशमन राशि व उस पर आरोपित ब्याज को यथावत रखा है, जो पूर्णतः उचित है। अतः उन्होंने प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी । उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया तथा परिपत्र संख्या 16(4)टैक्स/कमिश्नर/ 2000/ पार्ट–।/ 7743 दिनांक 23.01.2003 पर भी मनन किया गया।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या 16(4) टैक्स/ कमिश्नर/2000/पार्ट–।/7743 दिनांक 23.01.2003 के द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार घोषित वस्तुओं पर अधिकतम अर्थात् 4 प्रतिशत से अधिक करारोपण नहीं किया जा सकता अतः दो प्रतिशत सरसों तिलहन की बिक्री पर टीओटी आरोपित किया जा सकता है,क्योंकि तिलहन पर केन्द्रीय विकय कर अधिनियम में 4 प्रतिशत की दर है अतः कुल 4 प्रतिशत से अधिक करारोपण नहीं किया जा सकता है। रेकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी की बिक्री तीस लाख से पचास लाख की श्रेणी में होने के कारण उक्त बिक्री पर रू. 4500/–टीओटी का दायित्व बनता है। अपीलीय अधिकारी ने इन्हीं तथ्यों का समावेश करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित टीओटी रू. 4500/– व उस पर आरोपित ब्याज रू. 648/–को यथावत रखा है, जो पूर्णतः विधिक होने से अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत की गई हस्तगत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य